

9.1.23

प्रतिपक्ष के अभाव में
कार्यवाही के अभाव में
दिनांक 20.1.23 को बंद हो।

[Signature]

20.1.23

पञ्जावली पैरा 12 है। ताकी खर्चवादी-अधिकार
की बात-कार्य प्रमाणित रूप में तदुपरोक्त
सजावाई गई, परन्तु नूननी और से कोई भी
अधिकार नहीं। फलस्वरूप बाद ताकी अर्थ
द्वारा न कदम फेरकी से खर्चवादी-अधिकार
है। पञ्जावली पैरा 12 सुमाट होकर फेर
नाम्बर से उम है तथा बाद तदुपरोक्त
जाफा दारिदर दफ्तर है। निर्णय सुके
प्रमाणित है सुनाया गया।

ए.सी. ई.एच. (क.दे.)
नयागा

